

MTS

रजिस्ट्री सं. डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 2014/वैशाख 3, 1936

No. 219]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 2014/VAISAKHA 3, 1936

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 289(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय, भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 1963 को, जहां तक उसका संबंध दफ्तरी, जमादार, चपरासी, फराश, झाड़कश और चौकीदार के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में बहुकार्य कर्मचारिवृद्ध के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, बहुकार्य कर्मचारिवृद्ध भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद |
|------------------------|--------------|--|--|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बहुकार्य कर्मचारिवृद्ध | (2014) 26* | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित वीय | वेतन बैंड 1; 5200- 20200/- रु. + ग्रेड वेतन 1800/- रु. | लागू नहीं होता |

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

(6)

18 से 25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्मीनाथ के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परीबोक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
| (7) | (8) | (9) |
| मैट्रिक्युलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| | |
|--|--|
| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ब्रेंडियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
| (10) | (11) |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| | |
|---|--|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (12) | (13) |
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :— 1. उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय 2. अन्य मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव या ऊपर की पंक्ति का नामनिर्देशिती 3. अवर सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय | लागू नहीं होता |

[फा.सं. एफ.4(1)2009-प्रशा.]

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2014

G.S.R. 289(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Parliamentary Affairs, Recruitment and Conditions of Service Rules, 1963 in so far as it relates to posts of Dafty, Jamadar, Peon, Farash, Sweeper and Chowkidar except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Ministry of Parliamentary Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Parliamentary Affairs, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.